मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक: एफ 8-6 /2010/नियम/चार
भोपाल, दिनांक 18 मई, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम-2011.

--***--

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्य, शासकीय नर्स (राजपत्रित) एवं (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं), म.प्र. चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा में किसी चिकित्सक या विशेषज्ञ, महाविद्यालयीन शासकीय शिक्षक, म.प्र. तकनीकी शिक्षा अभियांत्रिकी महाविद्यालय का शासकीय शिक्षक, पोलीटेक्निक महाविद्यालय का शिक्षक एवं म.प्र. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) नर्सिंग कालेज इंदौर एवं म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी नर्सिंग संवर्ग की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि करने हेतु मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम-2011 द्वारा मूल नियम 56 में आवश्यक संशोधन किया गया है । यह संशोधन अधिनियम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 20 सन् 2011, दिनांक 6 मई 2011 में प्रकाशित हो चुका है जो केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल के वेबसाईट www. govtpress mp. nic.in पर अवलोकन एवं डाउनलोड हेतु उपलब्ध है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 8-6 /2010 /नियम/चार   भोपाल, दिनांक 18 मई, 2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के. सक्सेना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 31/10/09

:: आ दे श ::

क्रमांक एफ 18–17/2009/17/मेडि–1 :: राज्य शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नर्सिंग संवर्ग में कार्यरत शासकीय सेवक जिनकी वर्तमान में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है, में वृद्धि कर 65 वर्ष करने का मंत्रि–परिषद बैठक दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 में निर्णय लिया गया। यह आदेश जारी होने की दिनांक अर्थात 31 अक्टूबर, 2009 में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले नर्सिंग संवर्ग के शासकीय सेवकों को इस आदेश का पूर्ण लाभ मिलेगा।

2/ ऐसे नर्सिंग संवर्ग के शासकीय सेवक जो सेवावृद्धि/पुन–नियुक्ति/संविदा सेवा के मामलों में लागू नहीं होगा क्योंकि वे इस संशोधन के पूर्व विद्यमान नियमों/निर्देशों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मो. रफीक खान)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमशः .... /2

पृ.क. एफ 18–17 / 2009 / 17 / मेडि–1भोपाल दिनांक 31 / 10 / 09

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, 'मंत्रालय', भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, 'मंत्रालय', भोपाल।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, 'मंत्रालय', भोपाल।
5. समस्त प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
7. आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासन।
10. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।
11. संचालक, लोक स्वास्थ्य / परिवार कल्याण / चिकि. सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
12. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, म.प्र.।
15. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्यअस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग